न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर

राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 98/2009 (2009/00007)

उनवान

1. श्री रंगलाल पुत्र श्री बुद्धा
2. श्री सरदार सिंह पुत्र श्री बुद्धा
3. श्री नंगा सिंह पुत्र श्री गम्भीरा
4. श्रीमती जमनी पत्नी श्री धन्ना
5. श्री महासिंह पुत्र श्री धन्ना
6. श्री गैनासिंह पुत्र श्री बीरमा
7. श्री मोडा सिंह पुत्र श्री पन्ना
8. श्री शंकरसिंह पुत्र श्री देवा
9. श्री बाबूसिंह पुत्र श्री भंवरसिंह पौत्र श्री श्रवण
   समस्त जाति रावत निवासीगण ग्राम गुढा (नारेली) तहसील व जिला अजमेर
10. श्री अली मोहम्मद पुत्र श्री शेर खां जाति मुसलमान, निवासी ग्राम गुढा (नारेली) तहसील व जिला अजमेर।

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री रणजीत पुत्र श्री जियां जाति रावत ग्राम गुढा (नारेली) तहसील व जिला अजमेर
2. श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय, अजमेर
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अजमेर। ..... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) नियम 1970

उपस्थितः—

1. श्री अजीतसिंह राठौड	अभिभाषक प्रार्थीगण
2. श्री पुष्पेन्द्र सिंह नरूका	अभिभाषक अप्रार्थी 1
3. श्री ओमप्रकाश गुर्जर	राजकीय अभिभाषक

आदेश दिनांक — 07.05.2025

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम गुढा (नारेली) तहसील व जिला अजमेर अवस्थित साबिक खसरा नम्बर 1138 मिन रकबा 02–00–00, 1138 मिन रकबा 13–03–00, 1192 मिन रकबा 10–12–00 एवं 1192 मिन रकबा 00–04–00 किस्म बरडा जिसके हाल खसरा नम्बर 1433 एवं 1434 कायम किए गए है, पर प्रार्थीगण के पूर्वजो का निरन्तर कब्जा व काश्त आज दिवस तक चला आ रहा है, जिसके तहत कदिमी समय से कब्जा काश्त रहने से उक्त वर्णित कृषि भूमियों में से हाल खसरा नम्बर 1433 मिन रकबा 06–02–00 एवं 1434 मिन रकबा 02–04–00 कुल 08–06–00 किस्म बारानी तीन का खातेदार प्रार्थीगण को दर्ज कर लिया गया तथा शेष भूमि पर पूर्व में प्रार्थीगण के पूर्वजो का एवं वर्तमान

जिला कलक्टर
अजमेर

में आज दिवस तक प्रार्थीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है, परन्तु आवंटन सलाहकार समिति द्वारा बिना राजस्व रिकॉर्ड एवं आधिपत्य की जांच किए प्रार्थीगण को सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान किए अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में गैर खातेदारी का इन्द्राज किया जाकर जरिये नामान्तकरण संख्या 68 दिनांक 26.02.1996 द्वारा खातेदारी का अंकन कर दिया गया, जिसकी जानकारी दिनांक 05.10.2009 को प्रार्थीगण को हुई, जब अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अपनी खातेदारी के आधार पर प्रार्थीगण के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त में दखल कर अविधिक रूप से कब्जा प्राप्त करने एवं भूमि को विक्रय करने का प्रयास किया। आवंटन आदेश दिनांक 10.06.1984 विरूद्ध न्याय नियम एवं रिकॉर्ड होकर काबिल निरस्तनीय है। अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में किया गया आवंटन आदेश दिनांक 10.06.1984 राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके की भौतिक स्थिति के विपरीत होकर प्रार्थीगण को सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान किए बिना एक पक्षीय रूप से पारित किए जाने से आवंटन आदेश दिनांक 10.06.1984 विधिक प्रावधानों व प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतो के विपरीत होकर निरस्तनीय है। आंवटन नियम 1970 में उल्लेखित विधिक प्रावधानों एवं प्रतिपादित न्यायिक दृष्टान्तों के अनुसार अन आक्यूपाईड लैण्ड ही आवंटन किये जाने योग्य है, परन्तु आवंटन सलाहकार समिति द्वारा राजस्व रिकॉर्ड एवं भौतिक स्थिति की विधिवत जांच किए बिना भौतिक स्थिति के विपरीत प्रार्थीगण की आक्यूपाईड भूमि को अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में आवंटन किए जाने में कानूनी भूल की है। आवंटन नियम 1970 के नियम 14 (3) के अनुसार आवंटित भूमि पर आज दिवस तक अप्रार्थी संख्या 1 का कोई कब्जा काश्त नहीं होने से अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा आवंटन की शर्तो की विधिवत पालना नहीं किए जाने से अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में पारित आवंटन आदेश एवं उसकी पालना में हाल राजस्व रिकॉर्ड का अंकन काबिल निरस्तनीय है। आवंटन सलाहाकार समिति द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में आवंटन आदेश दिनांक 10.06. 1984 पारित किए जाने से पूर्व अप्रार्थी संख्या 1 एवं उसके परिवार में धारित खातेदारी भूमियों एवं आवंटित भूमि पर आधिपत्य बाबत् कोई विधिवत जांच किए बिना आवंटन आदेश पारित किया गया है, जबकि अप्रार्थी संख्या 1 भूमिहीन नहीं होकर आवंटन का पात्र नहीं था, इसके बावजूद विधिक प्रावधानों के विपरीत अप्रार्थी संख्या 1 को किया गया आवंटन निरस्तनीय है। आवंटन किए जाने की दिनांक को आवंटन नियम 1970 में उल्लेखित विधिक प्रावधानों के तहत आवंटन कमेटी की कोरम ही पूर्ण नहीं थी, इस प्रकार अपूर्ण कोरम द्वारा किया गया आवंटन आदेश स्वयं में विधि सम्मत नहीं होने के कारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आवंटन आदेश काबिल निरस्तनीय है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में उपखण्ड अधिकारी महोदय, अजमेर द्वारा पारित आवंटन आदेश दिनांक 10.06.1984 एवं उसकी पालना में हाल राजस्व रिकॉड में अंकित खातेदारी को निरस्त किए जाने के आदेश प्रदान करे।

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को विधिवत् सुनवाई का नोटिस दिया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय का सम्बन्धित रेकार्ड तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये। अप्रार्थी संख्या 2, 3 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित आये। सुनवाई चाहने पर उपस्थित उभय पक्ष को सुना गया।

जिला कलक्टर
अजमेर

अभिभाषक प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि ग्राम गुढा (नारेली) तहसील व जिला अजमेर अवस्थित साबिक खसरा नम्बर 1138 मिन रकबा 02–00–00, 1138 मिन रकबा 13–03–00, 1192 मिन रकबा 10–12–00 एवं 1192 मिन रकबा 00–04–00 किस्म बरडा जिसके हाल खसरा नम्बर 1433 एवं 1434 कायम किए गए है, पर प्रार्थीगण के पूर्वजो का निरन्तर कब्जा व काश्त आज दिवस तक चला आ रहा है, जिसके तहत कदिमी समय से कब्जा काश्त रहने से उक्त वर्णित कृषि भूमियों में से हाल खसरा नम्बर 1433 मिन रकबा 06–02–00 एवं 1434 मिन रकबा 02–04–00 कुल 08–06–00 किस्म बारानी तीन का खातेदार प्रार्थीगण को दर्ज कर लिया गया तथा शेष भूमि पर पूर्व में प्रार्थीगण के पूर्वजो का एवं वर्तमान में आज दिवस तक प्रार्थीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है, परन्तु आवंटन सलाहकार समिति द्वारा बिना राजस्व रिकॉर्ड एवं आधिपत्य की जांच किए प्रार्थीगण को सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान किए अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में गैर खातेदारी का इन्द्राज किया जाकर जरिये नामान्तकरण संख्या 68 दिनांक 26.02.1996 द्वारा खातेदारी का अंकन कर दिया गया, जिसकी जानकारी दिनांक 05.10.2009 को प्रार्थीगण को हुई, जब अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अपनी खातेदारी के आधार पर प्रार्थीगण के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त में दखल कर अविधिक रूप से कब्जा प्राप्त करने एवं भूमि को विक्रय करने का प्रयास किया। आवंटन आदेश दिनांक 10.06.1984 विरूद्ध न्याय नियम एवं रिकॉर्ड होकर काबिल निरस्तनीय है। अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में किया गया आवंटन आदेश दिनांक 10.06.1984 राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके की भौतिक स्थिति के विपरीत होकर प्रार्थीगण को सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान किए बिना एक पक्षीय रूप से पारित किए जाने से आवंटन आदेश दिनांक 10.06.1984 विधिक प्रावधानों व प्राकृतिक न्याय के सिद्वांतो के विपरीत होकर निरस्तनीय है। आंवटन नियम 1970 में उल्लेखित विधिक प्रावधानों एवं प्रतिपादित न्यायिक दृष्टान्तों के अनुसार अन आक्यूपाईड लैण्ड ही आवंटन किये जाने योग्य है, परन्तु आवंटन सलाहकार समिति द्वारा राजस्व रिकॉर्ड एवं भौतिक स्थिति की विधिवत जांच किए बिना भौतिक स्थिति के विपरित प्रार्थीगण की आक्यूपाईड भूमि को अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में आवंटन किए जाने में कानूनी भूल की है। आवंटन नियम 1970 के नियम 14 (3) के अनुसार आवंटित भूमि पर आज दिवस तक अप्रार्थी संख्या 1 का कोई कब्जा काश्त नहीं होने से अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा आवंटन की शर्तो की विधिवत पालना नहीं किए जाने से अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में पारित आवंटन आदेश एवं उसकी पालना में हाल राजस्व रिकॉर्ड का अंकन काबिल निरस्तनीय है। आवंटन सलाहाकार समिति द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में आवंटन आदेश दिनांक 10.06.1984 पारित किए जाने से पूर्व अप्रार्थी संख्या 1 एवं उसके परिवार में धारित खातेदारी भूमियों एवं आवंटित भूमि पर आधिपत्य बाबत् कोई विधिवत जांच किए बिना आवंटन आदेश पारित किया गया है, जबकि अप्रार्थी संख्या 1 भूमिहीन नहीं होकर आवंटन का पात्र नहीं था, इसके बावजूद विधिक प्रावधानों के विपरीत अप्रार्थी संख्या 1 को किया गया आवंटन निरस्तनीय है। आवंटन किए जाने की दिनांक को आवंटन नियम 1970 में उल्लेखित विधिक प्रावधानों के तहत आवंटन कमेटी की कोरम ही पूर्ण नहीं थी, इस प्रकार अपूर्ण कोरम द्वारा किया गया आवंटन आदेश स्वयं के विधि सम्मत नहीं होने के कारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आवंटन आदेश काबिल निरस्तनीय है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में उपखण्ड अधिकारी महोदय, अजमेर द्वारा पारित आवंटन आदेश दिनांक 10.06.1984 एवं उसकी

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

जिला कलक्टर
अजमेर

पालना में हाल राजस्व रिकॉर्ड में अंकित खातेदारी को निरस्त किए जाने के आदेश प्रदान करे। वकील प्रार्थी ने लिखित बहस प्रस्तुत कर आवंटित भूमि आवंटी द्वारा अन्य को विकय की जाना उल्लेखित किया गया है। वकील प्रार्थी ने अपने समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आर.आर.डी 1993 पेज 86, आर.आर.डी 1989 पेज 23, आर.बी.जे. (5) 1998 पेज 622 प्रस्तुत किए।

जवाब में अप्रार्थी संख्या 1 के अधिवक्ता ने अपने जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में मुख्यतः कथन किया गया कि खसरा नम्बर 1433 मिन रकबा 12–00–00 व 1434 मिन रकबा 02–00–00 भूमि का आवंटन 1984 में हुआ जिसका नामान्तकरण संख्या 224 स्वीकृत किया गया है एवं दिनांक 26.02.1996 को जरिये नामान्तकरण संख्या 68 गैर खातेदार से खातेदार दर्ज करने का नामान्तकरण स्वीकार हुआ। उक्त आवंटन विधि अनुसार किया गया है। वादग्रस्त भूमि सिवायचक होकर काश्त थी जिसको सक्षम प्राधिकृत अधिकारी ने विधि अनुसार राजस्व अभियान में आवंटन की है। आवंटित भूमि का कब्जा संभलाया जाकर नामान्तकरण तस्दीक किया है एवं वक्त आवंटन से आज दिन तक आवंटन शुदा भूमि अप्रार्थी 1 के कब्जे काश्त एवं खातेदारी में है। प्रार्थीगण ने 26 वर्ष बाद प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो मियाद बाहर होने से खारिज फरमाया जावे। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फमरावे।

जवाब में राजकीय अभिभाषक ने मुख्यतः कथन किया कि आवंटित भूमि पर आवंटी अप्रार्थी संख्या 1 का कभी कब्जा काश्त नहीं रहा भूमि सिवायचक दर्ज करने के आदेश प्रदान करे।

हमने उभय पक्ष की बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से एवं तहसीलदार अजमेर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 23.04.2015 के साथ संलग्न पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट दिनांक 14.04.2015 में अप्रार्थी संख्या 1 श्री रणजीत सिंह पुत्र जिया का कभी आवंटित भूमि पर कब्जा नहीं रहा।.उक्त भूमि मौके पर पशुओ के चराई के काम आती है, इसलिए आंवटित भूमि पर कब्जा आंवटी नहीं कर पाया। आंवटित भूमि मौके पर जानवरो के चराई के काम आती रही है। आवंटित भूमि पर विलायती बबूल खडे है व भूमि उबड–खाबड, पथरीली है जो काबिल काश्त नहीं है। खसरा गिरदावरी सम्वत 2015 लगायत 2017, 2018, 2019, 2020 लगायत 2022, 2023 लगायत 2026, 2027 लगायत 2030 में अप्रार्थी संख्या 1 ने कभी काश्त नहीं की गई है। उक्त खसरा गिरदावरी से सिद्ध होता है कि अप्रार्थी द्वारा गलत तथ्य पेश कर उक्त भूमि अपने नाम आवंटन कराई गई है, अप्रार्थीगण ने अपने समर्थन में वादग्रस्त आराजियात पर कब्जे के सबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए है, साथ ही अप्रार्थीगण ने आवंटन/नियमन की शर्तो की पालना नहीं की गई है। लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र नियम 14(4) राज. भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 का उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में स्वीकार कर ग्राम गुढा (नारेली) तहसील अजमेर जिला अजमेर के खसरा नम्बर 1138 मिन रकबा 12–00–00, खसरा नम्बर 1192 मिन रकबा

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

जिला कलक्टर
अजमेर

1–15–00 का भूमि का अप्रार्थी संख्या 01 के हक में किया गया आवंटन/नियमन दिनांक 10.06.1984 निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार अजमेर को आदेश दिए जाते है कि हाल राजस्व रेकार्ड में भूमि सिवायचक जरिये नामान्तरकरण दर्ज करें। आदेश की प्रति तहसीलदार अजमेर को पालनार्थ प्रेषित हो ।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 07.05.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

(लोक बन्धु)
जिला कलक्टर, अजमेर